"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 69] रायपुर, बुधवार, 27 मार्च 2002 चैत्र 6, शक 1924

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर (पं.)/पांच (30).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छ त्तीसगढ राज्य में स्थापित किये जाने वाले (1) नवीन सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, (2) नवीन जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, के पक्ष में, राज्य सरकार या किसी अर्धसरकारी संगठन या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा या गैर सरकारी संगठन या उसकी ओर से निष्पादित भू-खण्ड या निर्मित क्षेत्र से संबंधित विक्रय/पट्‌टे के लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देती है.

स्पष्टीकरण : इस प्रयोजन के लिए "नये उद्योग" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने 1 नवंबर 2001 के पूर्व उत्पादन न किया हो और स्टाम्प शुल्क के छूट के संबंध में लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा तथा वृहद/मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में उद्योग आयुक्त/अपर आयुक्त स्तर से इस प्रकार प्रमाणित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुशार,
के. आर. **मिश्रा**, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च, 2002

क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर(पं.)/पांच (30).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर(पं.)/पांच (30), दिनांक 27 मार्च, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-19/2002/C.T. (R)/V(30)—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby remits the stamp duty chargeable on the instruments of sale/lease relating to plot or built up space executed by or on behalf of the State Government or any semi-Government organisation or any Government under taking, in favour of the (1) Information technology industries, (2) Bio-technology industries, to be established in the State of Chhattisgarh.

Explanation :- For this purpose "New Industry" means an industrial unit which has not gone in to production before 1-11-2001 and is so certified by the Commissioner/Additional Commissioner, Industries in the cases of Major/Medium industries and by the General Manager, District Trade and Industry Centre of the concerned district, in the cases of Minor Industries.

By order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
K.R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर (पं.)/पांच (31).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का सं. 16) की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-818-635-5, एस.आर. दिनांक 24 फरवरी, 1975 में निम्नलिखित और संशोधन करती है और उक्त अधिनियम की धारा 79 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार उसे प्रकाशित करती है, अर्थात् -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, रजिस्ट्रीकारण फीस की सारणी में, अनुच्छेद -1 में, टिप्पण 6 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्त: स्थापित किया जाय, अर्थात् -

7. नये उद्योगों को बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करते समय पंजीकरण शुल्क में कमी करते हुए एक हजार रुपये पर एक रुपये पंजीकरण शुल्क होगी .

स्पष्टीकारण — इस प्रयोजन के लिए "नये उद्योग" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने 1 नवंबर 2001 के पूर्व उत्पादन न किया हो और स्टाम्प शुल्क के छूट के संबंध में लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा तथा वृहद/मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में उद्योग आयुक्त/अपर आयुक्त स्तर से इस प्रकार प्रमाणित किया जाय .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर(पं.)/पांच (31).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर (पं.)/पांच (31), दिनांक 27 मार्च, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-19/2002/C.T. (R)/V(31)—In exercise of the powers conferred by Section 78 of Registration Act, 1908 (No. XVI of 1908) the State Government, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification No. B-818-635-5, S.R. dated 24th Feb. 1975 and publishes the same as per the required by Section 79 of the said Act, namely :-

AMENDMENT.

In the said notification, in the table of registration fees, in article-1, after note 6, the following note shall be inserted, namely :-

7. By reducing registration fees, the registration fees shall be one rupee on one thousnad rupees to the new industries at the time of obtaining loan from Bank/Financial institution.

Explanation :- For this purpose "New Industry" means an industrial unit which has not gone in to production before 1-11-2001 and is so certified by the Commissioner/Additional Commissioner, Industries in the cases of Major/Medium industries and by the General Manager, District Trade and Industry Centre of the concerned district, in the cases of Minor Industries.

By order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
K.R. MISRA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर (पं.)/पांच (32)—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का सं. 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक नीति वर्ष 2001-2006 लागू होने के पश्चात् स्थापित किये जाने वाले उद्योग जिनमें (1) मत्स्यपालन, (2) वनों पर आधारित प्रसंस्करण इकाई, (3) औषधि/जड़ी-बूटी पर आधारित प्रसंस्करण इकाई, (4) लौह एवं इस्पात तथा इस पर आधारित उद्योग, (5) सीमेंट और सीमेंट पर आधारित उद्योग, (6) एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम पर आधारित उद्योग, (7) कोयले एवं अन्य रसायन उद्योग, (8) कीमती पत्थर व आभूषण, (9) ग्रेनाइट, (10) सड़क परिवहन, (11) शहरी अधोसंरचना जिसमें नवीन रायपुर का विकास शामिल है, (12) जल प्रदाय, (13) पर्यटन, एवं (14) फिल्म सिटी एवं स्थानीय सिनेमा को प्रोत्साहित करने के लिये मनोरंजन के क्षेत्र में बहुआयामी काम्पलेक्स के निर्माण पर आधारित उद्योग शामिल है, के पक्ष में निष्पादित विक्रय/पट्टे के लिखतो पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट देती है.

स्पष्टीकारण—इस प्रयोजन के लिए "नये उद्योग" से अभिप्रेत ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने 1 नवंबर 2001 के पूर्व उत्पादन न किया हो और स्टाम्प शुल्क के छूट के संबंध में लघु उद्योगों के प्रकरणों में संबंधित जिले के महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा तथा वृहद/मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में उद्योग आयुक्त/अपर आयुक्त स्तर से इस प्रकार प्रमाणित किया जाय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2002

क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर (पं.)/पांच (32)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-19/2002/वा.कर (पं.)/पांच (32), दिनांक 27 मार्च, 2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 27th March 2002

NOTIFICATION

No. F-10-19/2002/C.T. (R)/V(32)—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby remits the stamp duty chargeable on the instruments of sale/lease in favour of new industries established in Chhattisgarh State after the enforcement of Industrial policy 2001-2006, which includes (1) Fisheries, (2) Forest produce processing units, (3) Medicinal/Herbal produce processing units, (4) Iron & Steel and industries based on it, (5) Cement and Cement based industries, (6) Aluminium and Aluminium based industries, (7) Coal and other Chemicals, (8) Gems and Jewellary, (9) Granite, (10) Road transportation, (11) Urban infrastructure including development of new Raipur, (12) Water Supply, (13) Tourism, and (14) Film City and multiplexes in entertainment sector primarily to promote regional cinema.

Explanation :- For this purpose "New Industry" means an industrial unit which has not gone in to production before 1-11-2001 and is so certified by the Commissioner/Additional Commissioner, Industries in the cases of Major/Medium industries and by the General Manager, District Trade and Industry Centre of the concerned district, in the cases of Minor Industries.

By order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,

K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2002